संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र. अस्प. प्रशा./से–4/2007/ भोपाल, दिनांकः 25/04/2007

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः– रतलाम शहर से सैलाना बस स्टेण्ड के पास मिशन कम्पाउन्ड अस्पताल के पीछे हड्डियों के मिलने के संबंध में।

–– 00 ––

जैसा कि आपको विदित ही है कि वातावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के बायोमेडिकल बेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हेण्डलिंग) नियम 1998 के अंतर्गत चिकित्सालयों से सृजित होने वाले ठोस एवं तरल जीव चिकित्सा अपशिष्ट का उक्त नियम के प्रावधान अनुसार उपयुक्त वैधानिक विधियों द्वारा विनिष्टिकरण अनिवार्य हैः–

उक्त नियम 1998 के नियम 5 की अनुसूचि 1 में उल्लेखित प्रावधानानुसार मानव अंगों का विनिष्टिकरण/भस्मीकरण अथवा गहरे गडढ़े में गाढ़कर किया जाता है। 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में विनिष्टिकरण/भस्मीकरण की सुविधा यदि उपलब्ध नही है तो गहरे गडढ़े में उपयुक्त विधि अनुसार कृपया निम्नानुसार विधि का पालन कर ठोस जीव चिकित्सा अवशिष्ट का विनिष्टिकरण सुनिश्चित करेंः–

1. गहरे गडढ़े में विनिष्टिकरण हेतु म्युनिसिपल नगर निगम अथवा म्युनिसिपल नगर परिषद से आबादी के बाहर उपयुक्त स्थल प्राप्त करें। यह ध्यान रहे कि स्थल के आस–पास कोई सतही जल अथवा भूजल स्त्रोत ना हो। साथ ही स्थल में पानी सोखने की क्षमता नगण्य हो तथा कुंआ आदी आसपास न हो।
2. गहरा गडढ़े को चारों तरफ से कांटेदार तारों की बाड़ से सुरक्षित करें ताकि जानवर आदि की पहुंच न होने पाए।
3. मानव अंग तथा अन्य ठोस जीव चिकित्सा अवशिष्ट को गाड़ने हेतु कम से कम 2 मीटर गहरा गडढ़ा खोदना होगा, जिसमें जीव चिकित्सा अपशिष्ट को डाला जाकर प्रत्येक प्रकरण में उसके उपर 10 से. मी. मिट्टी डालें फिर अगला अवशिष्ट उसके उपर डालें। इस प्रकार 1 मीटर गहराई तक कईं परतों में जीव चिकित्सा अवशिष्ट भकर उसके उपर 50 से मी मोटी चूने की परत से ढक दें एवं शेष 50 से मी को मिटटी से भकर गडढ़े को बन्द करें।
4. डीप वरियल की समस्त कार्यवाही किसी जिम्मेदार व्यक्ति की देख–रेख में ही सम्पन्न की जावे।
5. डीप वरियल हेतु स्थल का म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संबंधित अधिकारियों द्वारा निरिक्षण कर यथा उददेश्य हेतु प्राधिकृत किया जाना अनिवार्य है।

कृपया उपरोक्तानुसार विधियों का पालन कर ही डीप वरियल विधि से ठोस जीव चिकित्सा अपशिष्ट का विनिष्टिकरण सुनिश्चित करें।

ध्यान रहे कि रतलाम शहर में सैलाना बस स्टेण्ड के पास मिशन अस्पताल के पीछे हड्डियां मिलने जैसी घटना की पुनरावृत्ति आपके अधिकारिता क्षेत्र में न हो। इसका पूरा ध्यान रखा जावे तथा बायोमेडिकल बेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हेण्डलिंग) नियम 1998 के प्रावधानो का शासकीय तथा निजी चिकित्सा संस्थानों में कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संचालक चिकित्सा सेवाएं
म0 प्र0

पृ. क्र. अस्प. प्रशा./से–4/2007/ भोपाल, दिनांकः 25/04/2007

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अधीक्षण यंत्री, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल।

संचालक चिकित्सा सेवाएं
म0 प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र. /अ. प्र. /07/324 भोपाल,दिनांकः 18/7/2007

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   मध्यप्रदेश।

विषयः– अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को बिसरा, कपड़े व अन्य सामग्री हस्तांतरित करने के संबंध में।

—— 00 ——

स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में जहां पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध है, वहां पोस्टमार्टम के पश्चात् बिसरा कपड़े एवं हथियार इत्यादि तत्काल संबंधित पुलिस थानो द्वारा आगामी जांच हेतु नही ले जाए जा रहे, और उपरोक्त सामग्री संबंधित चिकित्सालयों में काफी समय से पड़ी रहती है।

मोदी मेडिकल जूरिसप्रूडेन्स एण्ड टाक्सीकॉलाजी पुस्तक 22वां संस्करण के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि ''यदि बिसरा एवं अन्य सामग्री 6 माह के भीतर परीक्षण हेतु रासायनिक प्रयोगशाला में संबंधित पुलिस थाने द्वारा नही ले जाया जाता है, तो ऐसी अवस्था में जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से उसका विनिष्टीकरण किया जा सकता है।''

अतः ऐसे सभी प्रकरणों में उपरोक्तानुसर कार्यावही सुनिश्चित करें।

(डॉ. अशोक शर्मा)
संचालक चिकित्सा सेवाएं

पृ. क्र. /अ. प्र. /07/325 भोपाल,दिनांकः 18/7/2007

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म0 प्र0
2. प्रमुख सचिव, गृह, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म0 प्र0
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म0 प्र0
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म0 प्र0
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म0 प्र0
6. समस्त जिलाध्यक्ष, म0 प्र0
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, म0 प्र0

(डॉ. अशोक शर्मा)
संचालक चिकित्सा सेवाएं

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 13–2–2005–सत्रह मेडि–2, भोपाल, दिनांक 17/4/2007

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम 1997 के अंतर्गत निजी नर्सिंग होम्स, चिकित्सालय एवं अन्य क्लीनिकल इस्टेब्लिसमेन्टस का पंजीयन बाबत्।

शासन तथा आई.एम.ए. एवं नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मध्य समय–समय हुई चर्चा अनुसार मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 में वांछित संशोधन कर दिए गए है। साथ ही मप्र. राजपत्र दिनांक 6/4/2007 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 2 की उपधारा 'ट' तथा अधिनियम की धारा '6' के खण्ड (3) के अनुसार उक्त अधिनियम के अंतर्गत पर्यवेक्षी प्राधिकारी के समस्त कृत्यों तथा अपील संबंधी कृत्यों का पालन करने के लिए, राज्य शासन द्वारा, क्रमशः मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर ''पर्यवेक्षी प्राधिकारी'' तथा सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को ''अपीलीय प्राधिकारी'' नियुक्त किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 में वर्तमान दिनांक तक यथा संशोधन प्रतियां तथा उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना की प्रति संलग्न कर, एतद् द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैः–

1. <u>प्रचार प्रसार</u> –

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 में किए गए संशोधन की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जनसाधारण की सूचना हेतु प्रसारित कर आपके अधिकारिता क्षेत्र में कार्यशील निजी नर्सिंग होम्स, चिकित्सालयों तथा अन्य क्लीनिकल इस्टेब्लिसमेन्टस के स्वामी/कीपर अथवा उक्त स्थापनाओं को चलाने का आशय रखने वालों से निर्धारित प्रारूप ''क'' में पंजीयन तथा अनुज्ञापन हेतु आवेदन नियम की धारा 7 ''अनुसूची एक'' में निर्धारित शुल्क सहित प्राप्त करने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करे। इस हेतु आवश्यक प्ररूप ''क'', ''ख'' तथा '' ख ख'' पर्याप्त मात्रा में छपवाकर रखें। इस बाबत् स्थाना स्थानीय स्तर पर प्रेस नोट भी दें।

2. रजिस्टर संधारण –

उक्त नियम 1997 की धारा 4 की उपधारा '3' के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नाम दर्शाने वाला एक रजिस्टर प्ररूप ''ग'' में छपवाकर पंजीकृत स्थापनाओं की जानकारी रखने हेतु तैयार रखें।

3. अनुज्ञप्ति जारी करना –

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम 1997 के प्रावधानों का पालन तथा आवेदन के आधार पर दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप ''ख'' में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तथा ''ख ख'' में अनुज्ञप्ति जारी करें।

4. समय–सीमा –

उपरोक्त कार्यवाही समय सीमा में की जाना है। इस बाबत् निम्न समय सीमा निर्धारित की जाती हैः–

(1) आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु सार्वजनिक सूचना दिनांक 25/4/2007 तक
(2) आवेदन प्राप्ती – निरंतरता पर
(3) प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं निराकरण – 15 दिवस में
(4) मासिक प्रतिवेदन संचालनालय/शासन हेतु – माह की 30 तारीख तक

समस्त संयुक्त संचालकों से अपेक्षा है कि वे साप्ताहिक रूप में अपने स्तर से अपने–अपने संभाग में इस कार्य की निगरानी करेंगें व गति प्रदान करेंगे। माह के अंत में भेजे जाने वाले प्रतिवेदन में ये जानकारी अलग–अलग संस्थान श्रेणी बार संलग्न प्रारूप में दी जावेगी। यदि कहीं निरंक विवरण है तो निरंक भी बताना होगा।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस को व्यवस्थित स्वरूप देने हेतु अलग से दो कार्यालय सहायकों को पूर्णकालिक रूप से इस कार्य को सम्पादन कराने हेतु लगावेंगे।

प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 30/4/2007 की स्थिति में दिनांक 06/05/2007 तक दें। प्रतिवेदन को सी.डी. मे देवे तथा अपने स्तर पर भी व्यवस्थित रिकार्ड कम्प्यूटर में भी रखा जावे।

(मदनमोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

पृ.क्रमांक एफ 13–2–2005–सत्रह मेडि–2 भोपाल, दिनांक 17/4/2007

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. संभाग आयुक्त, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/उज्जैन/जबलपुर/रीवा/सागर, म.प्र.।
4. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा सेवाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
8. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
9. संभागीय संयुक्त संचालक, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/उज्जैन/जबलपुर/रीवा /सागर, म.प्र.।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 220 / PS/H/2004 भोपाल, दिनांक 7 / 1 / 2005

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश।

विषयः—चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था के संबंध में।

शासकीय अस्पतालों में साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था करने हेतु समय—समय पर निर्देश जारी किय जाते रहे है तथा संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता रहा है कि वे चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां सही सफाई व्यवस्था हो ऐसा सुनिश्चित करे। परन्तु प्रायः देखने में आ रहा है कि इस संबंध में शासन निर्देशों का समुचित रूप से पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से दिन प्रतिदिन शिकायते भी संबंधित अधिकारियों को की जाती है परन्तु ऐसी शिकायतों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। यह अत्यंत चिन्ताजनक है।

दिनांक 16 दिसंबर, 2004 को नई दिल्ली में मान. मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में प्रदेश के संसद सदस्यों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बैठक हुई। उस बैठक में भी अधिकांश मान.सांसदों ने भी शासकीय चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था के संबंध में काफी अप्रसन्नता व्यक्त की । दिनांक 29 दिसंबर 2004 को मान.मुख्यमंत्री जी ने जब विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की उसमें भी सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिये। सफाई व्यवस्था में सुधार लाने का आशय मात्र सफाई से नहीं होकर यह भी सुनिश्चित करना है कि चिकित्सालयों में ऐसी व्यवस्था कायम की जाये जिससे वहां आने वाले रोगी अस्पताल परिसर की गंदगी से संक्रमित नहीं हो बायोमेडिकल वेस्ट के विनिष्टिकरण एवं डिस्पोजल की समुचित व्यवस्था हो साथ ही साथ अस्पतालों में अच्छी गुणवत्ता की चिकित्सा सेवायें उपलब्ध हो।

बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी 1 फरवरी 2005 को कलेक्टर के मार्गनिर्देशन में समस्त जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य मेला / दिवस आयोजित किये जाये। उक्त आयोजन में जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी एवं क्षेत्र के मा.संसद सदस्यों एवं विधायाकों को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाय। मेले में स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त निशक्त जनों को कृत्रिम उपकरण जन सहयोग एवं संबंधित विभागों के सहयोग से उपलब्ध कराये जाये तथा चिकित्सालयों की समुचित सफाई व्यवस्था का अवलोकन जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों को कराया जाय। जैसा कि आप जानते है कि शासकीय अस्पतालों में सफाई व्यवस्था कुछ विशेष आयोजन के दिन तो ठीक हो जाती है परन्तु बाद में उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है अतः आप सभी की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रतिदिन उसी प्रकार की व्यवस्था हो जैसी आयोजन दिनांक को। अर्थात नियमित

रूप से सफाई व्यवस्था हो। जब तक अस्पताल परिसर से ड्रेनेज की माकूल व्यवस्था नहीं होगी तथा बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल एवं विनिष्टिकरण हेतु समुचित उपाय नहीं किये जायेगे तब तक यह नहीं माना जा सकता कि अस्पताल में समुचित सफाई व्यवस्था है। कुल मिलाकर इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि अस्पताल परिसर में संक्रमणों को बढ़ावा नहीं मिले एवं संक्रमण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था हो। भवनों की आवश्यक रंगाई पुताई भी उपलब्ध संसाधनों से शीघ्र कराई जाय।

उपरोक्त कार्यवाही हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के बजट के अलावा रोगी कल्याण समिति के संसाधनों का भी उपयोग नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर किया जा सकता है। ड्रेनेज सिंस्टम के सुदृढ़ीकरण मल निष्कासन एवं नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हेतु एस.आई.पी. की मैचिंग ग्रान्ट योजना के तहत रोगी कल्याण समिति से वांछित मैचिंग ग्रान्ट प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित निर्देशों का पालन करते हुए की जा सकती है। इसी प्रकार निर्माण संबंधी कार्यो हेतु मान.सांसद एवं स्थानीय विधायक जी से सांसद/विधायक निधि से राशि उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जा सकता है।

अतः पुनः सर्व संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अस्पतालों की सफाई व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इस संबंध में दुव्यवस्था पाये जाने पर संबंधित चिकित्सालय प्रभारी तो उत्तरादायी होगें ही साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी अपने उत्तरादायित्व से बच नहीं सकेगें। जिला अस्पतालों एवं ऐसे अस्पतालों के लिए जिनकी व्यवस्था का उत्तरादायित्व सिविल सर्जन को सौपा गया है, उनके लिए सिविल सर्जन के साथ–साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी उत्तरादायी होगें। मॉनीटरिंग की दृष्टि से निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है।

प्रत्येक माह की 10 तारीख को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन संबंधित अस्पतालों की सफाई व्यवस्था के बारे में स्वास्थ्य आयुक्त को अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से भेजेगें। तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि जिला अस्पताल का माह में कम से कम एक बार कलेक्टर का आवश्यक रूप से भ्रमण कराया जाय। क्षेत्रीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के प्रत्येक जिला चिकित्सालय का प्रत्येक माह कम से कम एक बार आवश्यक रूप से निरीक्षण करेगें एवं वे भी संभाग के अन्दर चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था के बारे में स्वास्थ्य आयुक्त को माह की प्रत्येक 10 तारीख तक अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन भेजेगें। स्वास्थ्य आयुक्त यह भी व्यवस्था करेगें कि संचालनालय स्तर से संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक स्तर के अधिकारी क्षेत्र में जाकर आकस्मिक रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करें। इसके लिए उन्हें जिले आवंटित किये जाये। स्वास्थ्य आयुक्त प्रदेश की संकलित जानकारी (जिला अस्पताल बार) माह की 15 तारीख तक मुझे अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से भेजेगें।

कृपया अस्पतालों की साफ सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय जिससे किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता न पड़े।

(इकबाल अहमद)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 221/PS/H/2004 भोपाल, दिनांक 7/1/2005

प्रतिलिपिः–

निज सचिव, मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, म.प्र. की ओर मान. मंत्रीजी को अवगत कराने हेतु।

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. संचालक चिकित्सा सेवायें/संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र. की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
6. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मप्र. की ओर सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल–4/2005/241 भोपाल, दिनांक 2/6/2007

प्रति,

(1) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

(2) समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः– चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था के संबंध में।

———00———

विषयान्तर्गत शासन का पत्र क्रमांक/220/पी.एस./हेल्थ/2004/भोपाल, दिनांक 7/1/2005 (जो समस्त सी.एम.ओ./सी.एस. को सम्बोधित था) के द्वारा समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में सुचारू रूप से साफ–सफाई की व्यवस्था की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के नाम से भेजने हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक तक उक्त जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में आपके जिले से अप्राप्त हैं। पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि आपके अधिनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ–सफाई व्यवस्था की साप्ताहिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें।

संयुक्त संचालक (अस्त.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/अस्प..प्रशा./सेल–4/2005/242 भोपाल, दिनांक 2/6/2005

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/220/पी.एस./हेल्थ/2004 दिनांक 7/1/2005 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक (अस्त.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक : 13/09/2007

क्रमांक–एफ 10–43/2007/17/2 विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ–1–2/98/17/मेडि–2, दिनांक 24/10/1998 तथा संशोधन आदेश क्रमांक 2005/91/2005/17/मेडि–2, दिनांक 14/1/2005 को निरस्त करते हुए अब राज्य शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य का समय निम्नानुसार निर्धारित करता हैः–

1. वाह्य रोगी/अन्तः रोगी एवं क्लीनिकल जांच विभाग–

   प्रातः 9 बजे से सांयकाल 4 बजे
   - उक्त अवधि में अपराहन 1.30 से 2.00 बजे भोजन अवकाश रहेगा।
   - पैथॉलाजी जांच हेतु फास्टिंग सेम्पल कलेक्शन लेने के लिए सुविधा अनुसार रोटेशन से लेब टेक्नीशियन की ड्यूटी प्रातः 8 से लगाई जाए।

2. आपातकालीन सेवाएं (केवल जिला एवं सिविल अस्पतालों के लिए) अस्पताल के मुख्य अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा तीन शिफ्ट वाला रोस्टर तैयार किया जाएगा और 24 घंटे आपातकालीन सेवा अपलब्ध कराई जाएगी। जिला अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में पर्याप्त रंख्या में चिकित्सक रखे जाने की व्यवस्था प्रमुख चिकित्सक करेंगे।
3. इस आदेश द्वारा कार्य का समय निर्धारण होने के बावजूद चिकित्सक कार्य समय के अतिरिक्त भी आपातकालीन ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहेंगे।
4. आपातकालीन मामलों में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अपने रोगियों को दिन या रात में जब भी आवश्यकता हो, अटेण्ड करेंगे।
5. जिन चिकित्सकों के प्रभार में पलंग हो, वे प्रातः एवं सांयकाल दोनों समय वार्ड्स में राउन्ट लेंगे।
6. विशेषज्ञों के प्रभार में पंलग हो, वे प्रातः एवं सांयकाल दोनों समय वार्डस् में राउन्ट लेंगे।
7. समस्त चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के मुख्य अधीक्षक/अधीक्षक/ब्लाक मेडिकल अधिकारी/संस्था प्रभारी द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार अस्पताल/औषधालय में तथा अस्पताल/औषधालय के बाहर उनके द्वारा देखे गए रोगियों/ऑपरेशन किए गए मरीजों का ब्यौरा संधारित करेंगे।

8. फील्ड विजिट, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, कोर्ट एवीडेन्स आदि कार्य पूर्व व्यवस्था अनुसार निरन्तर रहेगा तथा इसका उल्लेख मूवमेंट रजिस्टर में अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

पृ.क्र. एफ 10–43/2007/17/मेडि–2 भोपाल, दिनांक 13/9/2007

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.भोपाल
3. संचालक, चिकित्सा सेवायें, म.प्र.भेापाल
4. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार म.प्र.भोपाल
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.
8. अनुभाग अधिकारी, 1,2 एवं 3 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
9. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1–17–97/17/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 05/07.05.1997

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
म.प्र.।

विषयः–जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल/सिविल डिस्पेंसरी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का समय निर्धारण।

संदर्भः–इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1–17/97/17/मेडि–1 भोपाल दिनांक 31.5.1997

––00––

उपरोक्त संदर्भित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। कृपया इसका अवलोकन करें। आदेश के पद–2 में जिला मुख्यालयों एवं अन्य स्थानों के अस्पतालों का समय निर्धारित किया गया है। इस बाबत् आप निम्न कार्यवाही तत्काल करें :–

1. समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेंसरी व अस्पतालों को सूचना :–
   इस आदेश की प्रतिलिपि अपने अधीनस्थ समस्त स्थानों को तत्काल भिजवायें।

2. सूचना पटल पर प्रदर्शन :–
   समस्त अस्पतालों में लोहे अथवा लकड़ी पर एवं सूचना पटल पर इस परिपत्र में दर्शाये समय को प्रचारित किया जाये।

3. स्थानीय स्तर पर समाचार पत्र में प्रेस नोट :–
   समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में अस्पतालों का परिवर्तित समय का प्रेस नोट देने हेतु इस परिपत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाये एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जावे।

4. सतत निगरानी :–

संयुक्त संचालकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त अस्पताल अधीक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने–अपने संस्थान में कड़ाई से इसका पालन करावायें।

उपरोक्त अनुसार पालन दिनांक 10 मई 2007 तक देवें।

(मदनमोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संलग्न उपरोक्तानुसार

क्रमांक/एफ 1–17–97/17/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 07.05.1997

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक मा. स्वास्थ्य मंत्री, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा।
4. संचालक गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग।
5. संचालक चिकित्सा सेवायें।
6. संचालक परिवार कल्याण विभाग।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :—

क्रमांक एफ 1—17—97/17/मेडि—1, भोपाल, दिनांक 31.05.1997

विभाग के आदेश क्रमांक 191/17/मेडि—2/91, दिनांक 25.01.1991 द्वारा जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सिविल डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में पदस्थ सभी श्रेणी के चिकित्सकों का कार्य—समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया था :—

प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
सांय 5.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक.

अब राज्य शासन उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य का समय निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

(प) जिला मुख्यालयों एवं नगर पालिक निगम मुख्यालयों पर स्थित अस्पतालों/औषधालयों के लिए:—

1. बाह्य रोगी एवं क्लीनिकल जांच विभाग :—
   (क) प्रातः कालीन 8.30 से 12.30 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक
   (ख) सांयकालीन 5.00 से 7.00 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक

2. आंतरिक रोगी विभाग का समय :—
   (क) प्रातः कालीन 8.30 से 1.30 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक
   (ख) सांयकालीन 5.00 से 7.30 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक

3. आपातकालीन सेवाऐं केवल जिला एवं सिविल अस्पतालों के लिए अस्पताल के मुख्य अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा 3 शिफ्ट वाला रोस्टर तैयार किया जाएगा और चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक रखे जाने की व्यवस्था प्रमुख चिकित्सक करेंगे।

(पप) जिला मुख्यालयों एवं नगर पालिक निगम मुख्यालयों से भिन्न स्थानों पर कार्यरत अस्पतालों/प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं औषधालयों के लिए :–

9.00 से 1.00 बजे तक
एवं
2.00 बजे से 4.30 बजे तक
अथवा कार्य समाप्ति तक

(पपप) परीक्षण/रोगी क्लीनिक :–
(बायोकेमिकल, पैथालाजिकल, रेडियोलाजिकल, डेन्टल, फिजियोथेरेपी आदि)
अस्पतालों/औषधालयों में उपरोक्त क्लीनिकल सुविधाओं का कार्य समय वहीं रहेगा जो बाह्य रोगी विभाग का कार्य समय है, अर्थात जिला मुख्यालयों एवं नगर पालिक निगम मुख्यालयों पर स्थित अस्पतालों/औषधालयों के लिए क्लीनिकल जांच का समय उपर्युक्त (प) 1. अनुसार तथा शेष स्थानों पर स्थित अस्पतालों/औषधालयों के लिये उपर्युक्त (पप) 2. के अनुसार होगा।

2– (1) इस आदेश द्वारा कार्य समय का निर्धारण होने के बावजूद चिकित्सक कार्य समय के अतिरिक्त भी आपातकालीन ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(2) आपातकालीन मामलों में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अपने रोगियों को दिन या रात में जब भी आवश्यकता हो, अटेन्ड करेंगे।

(3) जिन चिकित्सकों के प्रभार में पलंग हों, वे प्रायः एवं सांयकाल दोनो समय वार्ड्स में राउन्ड लेंगे।

(4) विशेषज्ञों सहित सभी चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन आने वाले रोगी को अवश्य देख लिया जाए।

(5) समस्त चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के मुख्य अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार अस्पताल/औषधालय में उनके द्वारा देखे गए रोगियों/आपरेशन किए गए मरीजों का व्यौरा देना सुनिश्चित करेंगे एवं अस्पताल के बाहर उनके द्वारा देखे गए मरीजों का भी व्यौरा देना सुनिश्चित करेंगे।

(6) ये आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश सिलावट)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1–17–97/17/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 31.05.1997

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, चिकित्सा सेवाऐं, म.प्र. भोपाल।
3. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. अधीक्षक, लेडी एल्गिन चिकित्सालय, जबलपुर/कैलाशनाथ काटजू चिकित्सालय भोपाल/सिविल अस्पताल बैरागढ़/सिविल अस्पताल कटनी/जनसेवा रूग्णालय, इटारसी।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (समन्वय शाखा)
9. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग